भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1588
मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को किसान क्रेडिट कार्ड

1588. श्री शंकर लालवानीः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अब सहकारी समितियों के सदस्यों को एक अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुपे किसान क्रेडिट कार्ड से सदस्यों को किस प्रकार वित्तीय लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ख) जी हाँ मान्यवर। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के माध्यम से देश में समृद्धि प्राप्त करने के लिए, गुजरात के बनासकांठा और पंचमहल जिलों में दिनांक 21 मई, 2023 को 'सहकारिता में सहकार' को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी । पायलट परियोजना की सफलता के बाद दिनांक 15 जनवरी, 2024 को गुजरात के सभी जिलों में 'सहकारिता में सहकार' पर एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया । पायलट परियोजना के अनुभवों के आधार पर, अभियान के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19.09.2024 एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी ।

अभियान के उद्देश्यों में से एक है प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स), प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों (PDCS) और अन्य सहकारी समितियों के सभी सदस्यों को रियायती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का वितरण, ताकि उन्हें शून्य या कम ब्याज दर (ब्याज अनुदान) पर ऋण दिया जा सके ।

(ग) रूपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कृषि संबंधी जरूरतों के लिए अल्पकालिक ऋण तक आसान पहुंच, डिजिटल लेनदेन की सुविधा, नकदी और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता को कम करने और किसानों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ब्याज अनुदान लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, साथ ही एक सुरक्षित और अंतःप्रचालनीय भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है ।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए उधार लेने की लागत को कम करके सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करता है । केंद्रीय सरकार 1.5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान करती है । इसके अलावा, जो किसान नियत तिथि पर या उससे पहले ऋण चुकाते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलता है । इससे प्रभावी ब्याज दर घटकर केवल 4% रह जाती है ।

कुछ राज्य ब्याज पर अतिरिक्त अनुदान प्रदान करते हैं जो शेष 4% ब्याज को कवर करती है । परिणामस्वरूप, जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, वे प्रभावी रूप से 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 0% ब्याज का भुगतान करते हैं, जिससे प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के माध्यम से ऋण जैसे मामलों में पूरी तरह से ब्याज मुक्त हो जाता है ।

यह उनके ब्याज बोझ को काफी कम करता है, समय पर चुकौती को बढ़ावा देता है, किफायती संस्थागत ऋण तक पहुंच को बढ़ाता है, और खेती के निवृष्टियों में अधिक निवेश को सक्षम बनाता है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में सुधार होता है ।